रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21092020-221857
CG-DL-E-21092020-221857

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 465] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 21, 2020/भाद्र 30, 1942
No. 465] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 21, 2020/BHADRA 30, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2020

सं. 66/2020-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 571(अ).—सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), अधिसूचना संख्या 35/2020-केन्द्रीय कर, तारीख 03 अप्रैल, 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 235(अ), तारीख 03 अप्रैल, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, प्रथम पैरा में, खंड (i) में, निम्नलिखित परंतुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु और भी कि, जहां अनुमोदन पर बिक्री या वापसी के लिए भारत से बाहर भेजे या ले जाये जा रहे माल के संबंध में किसी व्यक्ति के लिए किसी भी समय सीमा, जो मार्च, 2020 के 20वें दिन से अक्टूबर, 2020 के 30वें दिन तक की अवधि के दौरान आता है, को उक्त अधिनियम के खंड 31 के उपखंड (7) के तहत निर्दिष्ट या

निर्धारित या अधिसूचित किया गया है, और जहां ऐसी कार्रवाई को पूरा करना या अनुपालन ऐसे समय के भीतर नहीं किया गया है, तो, ऐसी कार्रवाई के पूरा करने की या अनुपालन के लिए समय सीमा अक्टूबर, 2020 के 31वें दिन तक बढ़ा दी जायेगी।"

[फा.सं. CBEC-20/06/08/2019-जीएसटी)]

प्रमोद कुमार, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) सं. 35/2020–केन्द्रीय कर तारीख 03 अप्रैल, 2020 में संख्यांक सा.का.नि. 235(अ), तारीख 03 अप्रैल, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था, और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) सं. 65/2020- केन्द्रीय कर, दिनांक 01 सितम्बर, 2020 में, संख्यांक सा.का.नि. 542(अ), तारीख 01 सितम्बर, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था, द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2020

No. 66/2020–Central Tax

G.S.R. 571(E).—In exercise of the powers conferred by section 168A of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), and section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 35/2020-Central Tax, dated the 3rd April, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 235(E), dated the 3rd April, 2020, namely:-

In the said notification, in the first paragraph, in clause (i), after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided further that where, any time limit for completion or compliance of any action, by any person, has been specified in, or prescribed or notified under sub-section (7) of section 31 of the said Act in respect of goods being sent or taken out of India on approval for sale or return, which falls during the period from the 20th day of March, 2020 to the 30th day of October, 2020, and where completion or compliance of such action has not been made within such time, then, the time limit for completion or compliance of such action, shall stand extended up to the 31st day of October, 2020.".

[F.No. CBEC-20/06/08/2019-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

Note: The principal notification No. 35/2020-Central Tax, dated the 3rd April, 2020 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 235(E), dated the 3rd April, 2020 and was last amended by notification No. 65/2020 – Central Tax, dated the 1st September, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R. 542(E), dated the 1st September, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2020

सं. 67/2020-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 572(अ).— केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, एतद् द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 73/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 29 दिसम्बर, 2017, जिसे सा.का.नि.1600(अ), दिनांक 29 दिसम्बर, 2017, के तहत, भारत के राजपत्र, आसाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में:-

(ii) दूसरे परंतुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

" परंतु यह भी कि उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जो कि जुलाई, 2017 से मार्च, 2020 तक की तिमाहियों से संबंधित प्ररूप जीएसटीआर-4 में नियत तारीख तक विवरणी प्रस्तुत नहीं कर पाये थे, लेकिन उक्त विवरणी को समयावधि सितम्बर, 2020 के 22वें दिन से अक्टूबर, 2020 के 31वें दिन तक प्रस्तुत करते है, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के अधीन देय विलंब फीस को दो सौ पचास रूपये से अधिक अधित्यजन किया जाता है, और उन करदाताओं के लिए देय विलंब फीस को पूर्ण रूप से अधित्यजन किया जाता है जिनके लिए कुल देय केन्द्रीय कर की राशि शून्य है ।"

[फा.सं.CBEC-20/06/08/2019-जीएसटी)]

प्रमोद कुमार, निदेशक

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 73/2017 – केन्द्रीय कर दिनांक दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 को सा.का.नि. 1600(अ), दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 77/2018- केन्द्रीय कर, दिनांक 31 दिसम्बर 2018, जिसे सा.का.नि. 1254(अ), दिनांक 31 दिसम्बर 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2020

No. 67/2020 – Central Tax

G.S.R. 572(E).—In exercise of the powers conferred by section 128 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with section 148 of the said Act, the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 73/2017– Central Tax, dated the 29th December, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- section (i) vide number G.S.R. 1600(E), dated the 29th December, 2017, namely :–

In the said notification: -

(ii) after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely: –

"Provided also that late fee payable under section 47 of the said Act, shall stand waived which is in excess of two hundred and fifty rupees and shall stand fully waived where the total amount of

central tax payable in the said return is nil, for the registered persons who failed to furnish the return in **FORM GSTR-4** for the quarters from July, 2017 to March, 2020 by the due date but furnishes the said return between the period from 22th day of September, 2020 to 31st day of October, 2020.”.

[F. No. CBEC-20/06/08/2019-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

Note: The principal notification No. 73/2017-Central Tax, dated 29th December, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 1600(E), dated the 29th December, 2017 and was last amended *vide* notification number 77/2018 – Central Tax, dated the 31st December, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R 1254(E), dated the 31st December, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2020

सं. 68/2020-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 573(अ).— केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसचूना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार, उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जो कि नियत तारीख तक प्ररूप जीएसटीआर-10 में विवरणी प्रस्तुत नहीं करते हैं, लेकिन वे उक्त विवरणी को समयावधि सितम्बर 2020 के 22वें दिन से दिसम्बर, 2020 के 31वें दिन तक प्रस्तुत करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के अधीन देय विलंब फीस को दो सौ पचास रूपये से अधिक अधित्यजन किया जाता है।

[फा.सं.CBEC-20/06/08/2019-जीएसटी)]

प्रमोद कुमार, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2020

No. 68/2020 – Central Tax

G.S.R. 573(E).—In exercise of the powers conferred by section 128 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Government, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee payable under section 47 of the said Act which is in excess of two hundred and fifty rupees, for the registered persons who fail to furnish the return in **FORM GSTR-10** by the due date but furnishes the said return between the period from 22th day of September, 2020 to 31st day of December, 2020.”.

[F. No. CBEC-20/06/08/2019-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.09.21 20:37:36 +05'30'